हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	पीठासीन अधिकारी [S.D. मीणा (R.A.S.)] उपस्थित अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह शक्तावत :- अप्रार्थी नं. 1 श्री S.N. नागर :- प्रार्थी -: निर्णय प्रार्थना पत्र :- ———x———x———x——— दि० 01-03-16 प्रार्थी द्वारा अर्थी विहान अधि० प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा एक दावा प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण उम्मीद है। अप्रार्थी नं० 1 स्टोन फैक्ट्रीयों का एक एसोसियेशन है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह शक्तावत है। प्रार्थी एवं उसके भाई मोहनलाल खाते एवं कब्जेकाश्त में ग्राम मायला में ख० नं० 388 की 3.93 हे० भूमि समभाग में स्थित है। उक्त भूमि में 5-7 लाख रूपये खर्च करके कुआ खुदवाया है, तथा प्रार्थी द्वारा उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूमि को उपजाऊ बनाया है, इन्हीं के खातों के हिस्से के सीमा में खसरा नम्बर 380 रकबा 7.60 हेक्टयर गैर मुमकि. चारागाह की भूमि है। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा राज्य सरकार तथा स्थानीय ग्राम पंचायत से पूर्व अनुमति लिये बिना ही चारागाह भूमि पर उसके सदस्यों की फेक्ट्रीयों का मलबा डालने के उपयोग में ली जा रही है। चारागाह भूमि को अवैधरूप से उपयोग में लिया जा रहा है। अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा अवैधरूप से एसोसियेशन भवन कुदायला में अपने सदस्यों की मीटिंग आयोजित कर 20/- प्रति ट्राली प्रति चक्कर के हिसाब से उक्त चारागाह भूमि में मलबा डालने का प्रस्ताव ले लिया है, तथा प्रतिदिन 400-500 ट्रॉली मलबा डाला जा रहा है।
	अप्रार्थी नं. 1 द्वारा बिना अनुमति मलबा तथा कपच्चियाँ डालने से प्रार्थी की आराजी के दक्षिणी कोने पर काफी रिसाव होना प्रारम्भ हो गया है। प्रार्थी के कुंये पर कोटा स्टोन का पॉलिश बहकर आता है, जिससे प्रार्थी के कुंये के खराब होने की संभावना हो गई है। प्रार्थी के खाते की भूमि का उपजाऊपन, पॉलिश, मलबा तथा कपच्चियों से निकलने वाले पानी से पूर्णतः नष्ट होने की संभावना है।
	अप्रार्थी नम्बर 1 फैक्ट्रीयों का एक

में जारी हुए

संग्रहन है, जो अवैधरूप से चारागाह भूमि पर
मौरा स्टोन का मलबा डालने का निरन्तर कार्य
कर रहा है। जिससे प्रार्थी के खेत के कृषि भूमि
की उपयोगिता पूर्णत: नष्ट होने की संभावना
है। यदि अप्रार्थी को उक्त कार्य से नहीं रोका
गया तो इससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होने
की प्रबल संभावना है।

अन्य कथन हस्ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि खसरा नं० 388 के रकबा
में स्थित चारागाह भूमि पर अप्रार्थी नं० 1
स्टोन फैक्टरी से निकलने वाले वेस्ट मलबा
कपच्चियों को न डाले। न ऐसा कोई कार्य
करें, जिससे प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि
की उपयोगिता ही कम हो। प्रार्थी को शांतिपूर्वक
भूमि पर काश्त करने देवे। उसमें किसी प्रकार
की मदाखलत मजाहमत न करे। न उक्त कृत्य
अपने एजेन्ट से ही करावें। आदि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण
दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को
जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी नं०
1 की ओर से श्री S.S. शक्तावत विद्वान अधि०
द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र
आदि प्रस्तुत किया। जवाब में प्रार्थना पत्र
अस्वीकार किया तथा विशेष आपत्तियां अंकित
अंकित की गई, कि प्रार्थी उक्त भूमि का न
तो खातेदार है, और न उसका उक्त भूमि
पर कब्जा काश्त है। इस कारण प्रा० पत्र
स्वत: ही काबिल खारिज है। प्रार्थी का

—क्रमश: —

हुक्म		हुक्म में
	चारागाह भूमि पर कोई शुद्ध रस नहीं है। प्रार्थी राजकीय भूमियों पर स्वयं पास का कार्य करता रहता है। प्रार्थी को अप्रार्थी नं. 1 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी वैधानिक अधिकार के एवं बिना किसी कारण के कानूनी प्रावधानों के परे जाकर प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी स्वयं एक अतिक्रमी है, तथा इसका आचरण ऐसा है, कि खुद अतिक्रमण कर राजकीय भूमियों पर कालस अतिक्रमण कर अपना हृदय छिपाना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाहता है। प्रार्थी का कुआ राजकीय भूमि पर है। जिस को अधिग्रहीत किया जावे। आदि जवाब की copy विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को दी जाकर जवाब शामिल मिसल किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है, कि प्रार्थी के खाते की भूमि के दक्षिण में चारागाह की भूमि है, जिस पर अप्रार्थी० द्वारा फैक्ट्री का वेस्ट मैटेरियल तथा पत्थर पॉलिश डाला जा रहा था उससे प्रार्थी का खेत खराब हो रहा है। प्रार्थी के कुए के पास वेस्ट मैटेरियल का टीला बना दिया है, जिससे प्रार्थी का कुआ खराब हो रहा था अप्रार्थी नं. द्वारा जिस भूमि पर पत्थर पॉलिश कापचियां आदि डाली जा रही है, उसके वह खातेदार नहीं है। भूमि चारागाह की ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी से इस बाबत अनुमति नहीं ली गई।	

क्रमशः

में जारी हुए

है। अतः इन्हें पाबन्द किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी नम्बर 1 का कथन है, कि अप्रार्थी जगदीश सिंह खातेदार नहीं है। अप्रार्थी का किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं है। अप्रार्थी के पास कोई ट्रेक्टर नहीं है। अप्रार्थी वाहन का चालक नहीं है। यदि कोई अनजान व्यक्ति पत्थर या वेस्ट मेटेरियल डाल जाता है, तो, भूमि चारागाह होने से स्टेट गवर्नमेन्ट पक्षकार है। संबंधित के विरुद्ध F.I.R. दर्ज करावें।

प्रकरण में सरकार पक्षकार है, तथा सरकारी भूमि पर सरकार के विरुद्ध T.I. नहीं चाही जा सकती। इनके द्वारा इनकी स्कूल की भूमि पर T.I. नहीं चाही थी, सरकारी भूमि पर T.I. चाही थी अतः प्रा० पत्र खारिज फरमाया जावे।

रिप्लाई में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है, कि इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रा० पत्र O.7 R.11 C.P.C. खारिज किया जा चुका है। वाद जारी चलने योग्य होने से टी० आई० भी चलने योग्य है।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य, वाँछित अनुतोष, अप्रार्थी क्रमांक 1 के जवाब आदि तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा

हुक्म	
	212 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सम्यक् विचार किया गया। तथ्य नकल जमाबंदी ग्राम मायला संवत् 2004-2024, ख०नं० 380 की भूमि प्रार्थी तथा उसके भाई के नाम पर दर्ज है। अप्रार्थी प्रथम 1 का उससे कोई नाता नहीं है। अप्रार्थी प्रथम 1 का उससे नाता नहीं है तथा यह प्रमाणित तथा स्वीकृत तथ्य है तथा नकल खसरा गिरदावरी से यह प्रकट होता है, कि प्रकरण वर्णित भूमि ख०नं० 380 पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रकरण वर्णित उक्त ख०नं० पर चारागाह के स्थित होने के प्रमाण प्रथम उपस्थित नहीं है। साथ ही साथ जिस खसरा नम्बर 380 पर अस्थाई आदेश चाहा जा रहा है, वह भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं होना तथा राजस्व रिकार्ड में चारागाह के रूप में अभिलिखित होना प्रकट होता है।
	इस प्रकार उक्त ख०नं० 380 की भूमि धारा 16 R.T.Act में यथा वर्णित भूमि है, जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः उक्त ख०नं० 380 से प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं० 1 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है, अपितु इस भूमि के संबंध में अर्थात ख०नं० 380 के संबंध में प्रार्थी तथा अप्रार्थी नं० 1 दोनों ही ट्रेसपासर की भूमिका में हैं। इस प्रकार अप्रार्थी नं० 1 का कथन है, कि उसके द्वारा न ट्रैक्टर चलाया जाता है, न उसके पास ट्रैक्टर की बाबत पर विवेचन अपेक्षित नहीं है।
	फलतः ख०नं० 380 के क्रम में प्रार्थी तथा अप्रार्थी नं० 1 दोनों का ही प्रथम दृष्टया

प्रकरण नहीं है।

प्रकरण वर्णित ख० नं० जिस पर अस्थाई आदेश अपेक्षित है, उस पर दोनों ही पक्ष कब्जा नहीं होने का कथन करते है तथा एक दूसरे का कब्जा बाबत कथन करते है, मगर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रमाण पेश नहीं करते है। प्रार्थी का उक्त भूमि ख० नं. 390 पर कब्जा बाबत कोई कथन नहीं है। चूंकि अप्रार्थी के इंकार से इस बाबत भी प्रमाण नहीं है, कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी नं. 1 द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कार्य किया जा रहा हो जिसके परिणाम स्वरूप प्रार्थी को हानि होती हो। इस कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

प्रार्थी के पक्ष में किस प्रकार से क्षति होगी यह भी इस स्तर पर प्रमाणित नहीं होने से अपूरणीय क्षति का तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि चारागाह पर अस्थाई आदेश चाहा है।

प्रार्थी को या अप्रार्थी० को क्या व किस प्रकार के स्वत्व प्राप्त है, ? इसका विनिश्चय प्रकरण में सम्यक साक्ष्योपरान्त समुचित विचारणोपरान्त विधि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म में
	अनुसार मेरिट पर होना है, न कि इस प्रा० पत्र के आधार पर। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर समग्र विचार करने के उपरान्त प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दि० 01-03-2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। [signature] रामगंजमंडी	